

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2613]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2014 / पौष 1, 1936

No. 2613]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2014/PAUSA 1, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3250(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (एन डी फ बी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायामूर्ति श्री एस. पी. गर्ग की अध्यक्षता में एक “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/29/2014—एन ई. V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2014

S.O. 3250(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri. S. P. Garg, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient causes of declaring the National Democratic Front of Boroland (NDFB) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/29/2014-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.